



O/O THE EXECUTIVE ENGINEER, PUBLIC HEALTH ENGG. DIVISION, MANDI DABWALI
कार्यकारी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मण्डल, मण्डी डबवाली

सेवा में

वन मण्डल अधिकारी
सिरसा

क्रमांक न० 7737

दिनांक:

27/6/25

विषय:

Diversion of 0.5548 ha of forest land in favour of Exucutive Engineer.PH Engineering Division Mandi Dabwali for laying of 18" i/d RCC pipe inlet channel for BMB to village Masitan water Works along Ellenabad-Dabwali road Km 64.50 to 67.90 1/s at Village masitan,under Forest Division and District sirsa, Haryana (online Prpposal no. PP/HR/Water/36116/2018)

सन्दर्भ:

आपके कार्यालय पत्र क्रमांक 2483 दिनांक 17/06/2025 के सन्दर्भ में प्रेषित।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में आपको भेजकर लिखा जाता है कि जिन शर्तों के आधार पर राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है, परन्तु अंडर टेकिंग के रूप में अनुपालना से पहले प्रस्तुत किया जाना है कि निम्न प्रकार से है:-

1. वन विभाग भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
2. प्रस्ताव के अनुसार कम से कम वृक्ष काटे जाएंगे। प्रस्ताव के अनुसार काटे जाने वाले वृक्षों की सख्यां 444 और पौधों की सख्यां 151 से अधिक नहीं होगी।
3. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।
4. साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और साथ साथ लगते हुए वन और वन भूमि को बचाने के लिये सभी प्रयास किए जाएंगे।
5. जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जाएगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए यह विभाग बाध्य होगा।
6. स्थानांतरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सी विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तारिन्त नहीं किया जाएगा।
7. केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जाएगा।
8. वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जाएगा
9. प्रयोक्ता एजेसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानत वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराएगी ताकि साथ लगते वन क्षेत्र किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके।
10. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1980, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।
11. कूड़ा-कर्कट निपटान वन विभाग द्वारा जारी योजना के अनुसार किया जाएगा।
12. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण सुरक्षा तथा विकास हेतु समय-समय लगाई जा सकती है।
13. यदि कोई अन्य संबन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।

यह आपको सुचनार्थ व आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

कार्यकारी अभियन्ता,
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मण्डल,
मण्डी डबवाली

TRADITIONAL FOREST DWELLERS RECOGNITION OF FOREST RIGHT ACT, 2006.

Title of the Case/Project: Diversion of 0.5548 ha of forest land in favour of Executive Engineer, Public Health Engineering Division, Mandi Dabwali for laying of 18" i/d RCC Pipe Inlet Channel from BMB to Village Masitan water Works along Ellenabad-Dabwali road Km 64.50 to 67.90 L/s at Village Masitan, under Forest Division & Distt. Sirsa.

It is certified that the forest land proposed to be diverted is plantation which was notified as "Forest" Less than 75 years prior to the 13th Day of December 2005 and having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census-2001 and the Census-2011.

11.6.19
for Deputy Commissioner,
Sirsa.

Memo No 9328

/MA Dated: 11.06.19

| | |
|----------------------------|-----------|
| Office of | |
| Deputy Commissioner, Sirsa | |
| 12/6/19 | Signature |
| 957 | |
| 12/6 | PCD |
| | |
| | |
| | |

Challan

| CAMPA-MOEF Copy | |
|--|--|
| Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund | |
| Date : 22-03-2019 | |
| Client Code. | CAM5069 |
| Location. | HARAYANA |
| Remitter Name. | EXECUTIVE ENGINEER PUBLIC HEALTH |
| PIF/Application No. | 5336116635 |
| MoEF/SG File No. | 9-HRB002-2019-CHA |
| Address. | Executive Engineer Public Health, Division No. 1, Sirsa |
| Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No. | pheirsaa2017@gmail.com 9728966569 1666-221750 |
| Amount(In Rs) | 7007899/- |
| Beneficiary Branch and Code. | Corp Bank Lodhi complex (0371) |
| Amount In Words : Seventy Lakh Seven Thousand Eight Hundred and Ninety-Nine Rupees Only | |
| <p>Sub Divisional Engineer, Depositor Signature (Signature) Public Health Sub Division No. 1 Bank Official Signature (Signature) Manu Dalwalia</p> | |
| Bank's Transaction Number | Branch Stamp |
| <ul style="list-style-type: none"> • Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction. • Challan should only be accepted against INST/DD. • Enter the Remitter Name In Additional Information 1 • Enter the Remitter Mobile number In Additional Information 2 • This challan is valid only for seven days. | |

Send a line of confirmation through Email: helpdes